


फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी फागी

बनाम
मुष्पा देवी बर्जां बनाम रामक्तार बर्जां

205/016 T.I

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील अनुपस्थित। वकील प्राप्ति व प्राप्ति के आवाज दिलाई गई। कोई हाजिर नहीं हुए। बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट के समय पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए वादी को वाड अदालत हाजरी व अदालत पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के मूल शुमार होकर दर्ज नहीं है। कस ही पाठिल दफ्तर रही।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी फागी </p>	